न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 43 / 2018(**RCMS** 2018 /00058)

प्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मंत्री श्री कुचामन गौशाला कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – तहसीलदार कुचामनसिटी

आदेश

दिनॉक :– 02/03/2020

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 759 से 761, 1889, 1890, 1969 से 1977, 2040, 2096, 2098 से 2103, 2149 से 2151, 2588 / 2115, 2589 / 1981, 2626 / 2101 कुल खसरा 28 रकबा 63.72 हैक्टर भूमि अप्रार्थी मंत्री गौशाला कुचामनसिटी सा. देह खातेदारी मं दर्ज है, पटवारी हल्का कुचामनसिटी भू.अ. निरीक्षक कुचामनसिटी की रिपोर्ट दिनॉक 29.12.2017 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त बिन्दू संख्या 1 में वर्णित खसरान में से खसरा नम्बर 201 में से कुल 22 हरे पेड़ बिना विधिक अनुमति के जड़ से उखाड़ दिये है, कि इन 22 हटाये गये वृक्षों जिनका अनुमानित वनज 100 क्विटल है, जिसे पटवारी हल्का कुचामनसिटी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक कुचामनसिटी द्वारा दिनॉक 05.01.2018 को मौके पर कुर्क कर कब्जे राज लिया जाकर श्री श्यामसुन्दर मंत्री पुत्र कल्याणचन्द माहेश्वरी कुचामनसिटी को दिनॉक 05.01.2018 की सुपुर्दगी में दिया गया है, अप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84 में विहित प्रावधानों के अनुसार विधिक अनुमति प्राप्त नही की गई है, अर्त फर्द कुर्की प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 86 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने की कृपा करावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिनके प्रतिनिधि नन्दकिशोर बिड़ला द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2101 में 22 हरे रोहिड़े काटने बाबत उक्त न्यायालय मं तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 86 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया है जबकि उक्त रोहिड़े के पेड़ सुख जाने से काटे गये हरे नही थे, उक्त सुखे रोहिड़े के पेड़ काटने के लिए दिनॉक 20.11.2017 को एक–प्रार्थना–पत्र तहसीलदार कुचामनसिटी के यहा इजाजत किया था जिसमे हमने वर्णित किया की सुखे पेड़ों के कारण से यहा जहरिले जानवरों का रहवास होने लगा है यह पेड़ सुख कर गिरने गिने की स्थिति में थे जिनको हटाने का काम किया गया था, गौशाला कुचामनसिटी की खातेदारी में मौके पर बिलायती व देशी बबूल खेजड़ी रोहिड़या इत्यादि खड़े है जिनमे से कई पेड़ सुख कर गिरने लगे थे जिस हटाने के लिए इजाजत बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था जो कि प्रक्रियाहीन था, गिरने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:39:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वजह से व जहरीले जानवर नही हो इसके लिए उन्होने उक्त सुखे पेड़ो को हटाया व काटे है जो कि गीले नही थे, पुरी तरह सुख चुके थे, दिनॉक 19.12.2017 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख कुचामनसिटी द्वारा व बीड़ मं जो पेड़ खड़े थे उनके सुखे होने की रिपोर्ट व पेड़ हटाने की अनुमति बाबत अनुशंषा की गयी है, कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1201 श्री कुचामनसिटी गौशाला की खातदेरी अधिकारो की स्थित चली आ रही है जिसमे पेड़ खड़े है उसमें काफी संख्या 150–200 पेड़ सुख गये है व गिरने की स्थिति में है व उनमे जहरिले जानवरों का निवास होने लगा है, जिसमें चार पांच गायों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नही हो इसलिए उन्होने प्रार्थना–पत्र तहसीलदार कुचामनसिटी के यहॉ इनको हटाने बाबत पेश किया है जो प्रक्रियाधीन है, उन्होने पुरी तरह से सुखे पेड़ काटे है गिले नही काटे, अतः कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्जावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, कुचामन गौशाला द्वारा दिनॉक 20.11.2017 को तहसलदार कुचामनसिटी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सुखे पेड़ को हटाने का कथन है जिसकी रिपोर्ट नि.भू.अ.कुचामनसिटी से ली गई नि.भू.अ.कुचामनसिटी दिनॉक 19.12.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर विभिन्न प्रकार के पेड़ सूखे हुये व थोथे तथा जीर्ण शीर्ण होने का कथन किया है तथा सूखे पेड़ हटाने की अनुमति दिये जाने की अनुशंषा की गई है, फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 29.12.2017 नि.भू.अ.कुचामनसिटी अनुसार कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2101 में कुचामन गौशाला द्वारा विभिन्न जगह रोहिड़े के 22 पेड़ जेसीबी मशीन द्वारा उखाड़कर गिराये हुये पाये गये इनके उखाड़ने के प्रयोजन बाबत पूछा गया तो अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इन खोखले पेड़ो मे जो हरे जीर्ण–शीर्ण हे जिनमें जहरीले जानवर गोयरा सर्प आदि निवास करते है और ये जहरीले जानवर पास में चरने वाली गायों को काट जाते है जिससे गायो की मृत्यु हो जाती है। उक्त पेड़ो को राजकीय तहवील में लिया जाकर निलामी की कार्यवाही की गई, फर्द निलामी दिनॉक 5.4.2018 अनुसार अंतिम बोली 5000/– रूपये रंगनाथ काबरा के रही, बोली कम रहने से पुनः बोली लगाई जाने के निर्देश जारी किये गये तत्पश्चात उक्त पेड़ो की निलामी 5550/– रूपये अंतिम बोलीदाता महावीरप्रसाद पुत्र घीसालाल अग्रवाल कुचामनसिटी के नाम रही जिसकी स्वीकृति आदेशिका दिनॉक 16.7.2018 में दी गई एवं राशि निर्धारित मद में राज्य कोष में जरिये GRN 24188403 दिनॉक 23.7.2018 को जमा होकर चालान की छाया प्रति प्रस्तुत की जो शामिल मिसल उपलब्ध है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नही रहना पाये जाने से प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:39:58 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनाँक 02/03/2020 को [illegible] सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.03.14 11:24:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: